

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/1180/ दो/17 जिला सीहोर

दिलीप/ मान्सी पगारे

9

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-08-18	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक के अधिवक्ता श्री अनूप चौधरी उपस्थित हुए। उनके तर्क सुने गये।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया तथा अनावेदक के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण तहसीलदार तहसील व जिला सीहोर के आदेश दि० 20-02-17 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक मान्सी पगारे द्वारा एक आवेदन कृषक कस्बा में स्थित सर्वे क्र० 1041/1/1 कुल रकवा 0 931 में से 23 आरे भाग क्रय किया जाकर उक्त का बंटवारा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर इशतहार जारी किये जाने तथा अनावेदक को सूचना दिये जाने के आदेश दिये गये तदोपरांत अनावेदक उपस्थित हुए और दिलीप चौधरी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है उक्त आपत्ति पर तहसीलदार द्वारा अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है तथा प्रकरण अभी प्रचलित है और उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है इसलिये उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है लिहाजा इस न्यायालय में प्रस्तुत यह निगरानी अर्थहीन होने से खारिज की जाती है</p>	<p>सदस्य 6/8/18</p>

[Handwritten signature]